भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 4041
जिसका उत्तर बुधवार, 12 अगस्त, 2026 को दिया जाएगा

क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा खराब उत्पाद

4041. सुश्री सयानी घोषः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा नकली, क्षतिग्रस्त और खराब उत्पादों की डिलीवरी या उत्पादों के गुम होने के संबंध में शिकायतों का संज्ञान लिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान उपभोक्ता आयोगों, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) और अन्य उपभोक्ता शिकायत तंत्रों के समक्ष ऐसे प्लेटफॉर्मों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की वर्ष-वार और प्लेटफॉर्म-वार संख्या कितनी है और कितने मामले सुलझाए गए हैं, लंबित पड़े हैं और निपटाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उत्पाद की प्रामाणिकता, डिलीवरी के मानकों, धनराशि वापसी, बदलाव और उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के लिए कोई दिशा-निर्देश, परामर्श या विनियम जारी किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अनुचित व्यापार अभ्यास, नकली सामान की बिक्री या सेवा में कमी के दोषी पाए जाने वाली क्विक कॉमर्स कंपनियों के विरुद्ध की गई जाँच, शास्तियों, जुर्माने या अन्य दंडात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा क्विक कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (ङ): उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) देश भर के उपभोक्ताओं के लिए मुकदमेबाजी-पूर्व चरण में उनकी शिकायत निवारण हेतु एकल पहुंच बिंदु के रूप में उभरी है। उपभोक्ता देशभर से हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मैथिली, संथाली, बांग्ला, ओडिया, असमिया और मणिपुरी सहित 17 भाषाओं में टोल-फ्री नंबर 1915 के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। ये शिकायतें एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (इनग्राम), एक ओम्नी-चैनल आईटी सक्षम केंद्रीय पोर्टल पर विभिन्न चैनलों - व्हाट्सऐप (8800001915), एसएमएस (8800001915), ईमेल (nch-ca@gov.in), एनसीएच ऐप, वेब पोर्टल (consumerhelpline.gov.in) और उमंग

ऐप के माध्यम से अपनी सुविधानुसार दर्ज की जा सकती हैं। 1,853 कंपनियां, जिन्होंने 'कन्वर्जेंस' कार्यक्रम के तहत एनसीएच के साथ स्वेच्छा से भागीदारी की है, इन शिकायतों का अपनी निवारण प्रक्रिया के अनुसार सीधे उत्तर देती हैं और पोर्टल पर शिकायतकर्ता को फीडबैक प्रदान करती हैं।

क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से संबंधित शिकायतों सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान ई-कॉमर्स क्षेत्र में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) द्वारा प्राप्त और निपटाई गई कुल शिकायतों का वर्ष-वार और प्रकृति-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान ई-कॉमर्स क्षेत्र में एनसीएच पर प्राप्त और निपटाई गई अधिकतम शिकायतों वाली शीर्ष दस कंपनियों का प्लेटफॉर्म-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) ने 25 अप्रैल, 2025 से 30 जून, 2026 के दौरान, मुकदमेबाजी-पूर्व चरण में रिफंड दावों से संबंधित 1,47,000 से अधिक उपभोक्ता शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान करके उपभोक्ताओं को ₹91 करोड़ से अधिक का रिफंड (जिसमें ई-कॉमर्स क्षेत्र से जुड़ी ₹63 करोड़ से अधिक की शिकायतें शामिल हैं) दिलाने में सफलता प्राप्त की है।

ई-कॉमर्स क्षेत्र में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, उपभोक्ता मामले विभाग ने 23 जुलाई, 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की कन्वर्जेंस प्रक्रिया में भागीदार बनने का प्रयास करना चाहिए और उनके लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना और उस अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण अपने प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य है। शिकायत अधिकारी को उपभोक्ता की शिकायतों को प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर उन्हें स्वीकार करना होगा और शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर उनका निवारण करना होगा। उपभोक्ता की सहमति केवल स्पष्ट और सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से ही दर्ज की जा सकती है, न कि पहले से टिक किए गए चेकबॉक्स या स्वचालित साधनों के माध्यम से। कोई भी ई-कॉमर्स इकाई अनुचित लाभ प्राप्त करने या अनुचित मूल्य अधिरोपित करने के लिए वस्तुओं या सेवाओं की कीमत में हेरफेर नहीं करेगी, न ही वह एक ही वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच भेदभाव करेगी या मनमाने वर्गीकरण करेगी जो अधिनियम के तहत उपभोक्ता अधिकारों को प्रभावित करते हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10 (1) के तहत केंद्रीय प्राधिकरण अर्थात केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और जनता तथा उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करना और एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना है।

सीसीपीए ने 9 जून, 2022 को भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के पृष्ठांकन के लिए दिशानिर्देश, 2022 को अधिसूचित किया है। ये दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ-साथ किसी विज्ञापन को वैध और गैर-भ्रामक मानने की शर्तें और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सहित विनिर्माता, सेवा प्रदाता, विज्ञापनकर्ता और विज्ञापन एजेंसी के कर्तव्यों का प्रावधान करते हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स क्षेत्र में पहचाने गए 13 विशिष्ट डार्क पैटर्न को संबोधित करते हुए 30 नवंबर, 2023 को "डार्क पैटर्न का

निवारण और विनियमन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, 2023" जारी किए हैं। इन डार्क पैटर्न में मिथ्या तात्कालिकता, बास्केट स्नीकिंग, कन्फर्म शेमिंग, जबरन कार्रवाई, अभिदान जाल, इंटरफेस हस्तक्षेप, बेट और स्विच, ड्रिप मूल्य निर्धारण, प्रत्यायुक्त विज्ञापन, नैगिंग, ट्रिक प्रश्न, एसएएएस बिलिंग और रोग मैलवेयर शामिल हैं।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 5 जून, 2025 को "ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के संदर्भ में अपने प्लेटफार्मों पर डार्क पैटर्न का पता लगाने के लिए स्व-ऑडिट पर एडवाइज़री जारी की गई थी, ताकि एक निष्पक्ष, नैतिक और उपभोक्ता केंद्रित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके"। **अनुलग्नक-III** में दी गई 31 प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्मों ने स्वेच्छा से अपने स्व-घोषणा पत्र जमा किए हैं, जिसमें उन्होंने डार्क पैटर्न का निवारण और विनियमन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, 2023 के अनुपालन की पुष्टि की है।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, सभी हितधारकों के परामर्श से "सुरक्षा प्रतिज्ञा" को अंतिम रूप दिया गया है, यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों की एक स्वैच्छिक सार्वजनिक प्रतिबद्धता है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन बेचे जाने वाले सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह पहल ई-कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को सुदृढ़ करती है। प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे कि रिलायंस रिटेल समूह, टाटा संस समूह, जोमैटो, ओला, स्विगी ने उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए हैं।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 47 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर लगभग ₹1,12,01,500 का जुर्माना लगाया है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने आईएस 19598:2026, ई-कॉमर्स - स्व-शासन के सिद्धांत और दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। यह मानक ई-कॉमर्स संस्थाओं के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और दिशा-निर्देश प्रदान करता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, विक्रेता की सम्यक तत्परता, उत्पाद की जानकारी और प्रामाणिकता, डिलीवरी और लेनदेन के बाद की प्रक्रियाएं, ऑर्डर कैंसल करना, रिटर्न, रिप्लेसमेंट, रिफंड, शिकायत निवारण और नकली उत्पाद विरोधी उपाय शामिल हैं। यह मानक स्वैच्छिक है और इसे मौजूदा कानूनों और नियमों के अनुरूप संचालित करने के लिए बनाया गया है।

अनुलग्नक -I

"क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा खराब उत्पाद" के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4041 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में उल्लिखित अनुलग्नक-I

क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से संबंधित शिकायतों सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान ई-कॉमर्स क्षेत्र में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) द्वारा प्राप्त और निपटाई गई कुल शिकायतों का वर्ष-वार और प्रकृति-वार ब्यौरा।

वर्ष-वार: 2021 से 2025

क्र. सं.	वर्ष	प्राप्त हुई	निपटाई गई
1	2021	2,24,592	2,24,592
1	2022	3,65,370	3,65,370
2	2023	4,46,133	4,46,133
3	2024	4,40,187	4,40,187
4	2025	5,11,198	5,11,198

प्रकृति-वार: 2021

क्र. सं.	शिकायत की प्रकृति	प्राप्त हुई
1	भुगतान की गई राशि रिफंड नहीं की गई	49437
2	दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त/गलत उत्पाद की डिलीवरी	48816
3	उत्पाद की डिलीवरी न होना	28496
4	सेवाओं में कमी	27776
5	उत्पाद की डिलीवरी में देरी	10989
6	उत्पाद / उत्पाद एसेसरिज़ न होना	10464
7	नीति के अनुसार रिप्लेसमेंट उपलब्ध न कराना	6276
8	खाता ब्लॉक/सेवा वर्जित	4484
9	जाली/नकली उत्पादों की बिक्री	4238
10	गलत वादे	3216
11	अन्य	30400

प्रकृति-वार: 2022

क्र. सं.	शिकायत की प्रकृति	प्राप्त हुई
1	भुगतान की गई राशि रिफंड नहीं की गई	74,183
2	सेवाओं में कमी	52,479
3	दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त उत्पाद की डिलीवरी	44,091
4	गलत उत्पाद की डिलीवरी	43,455
5	उत्पाद की डिलीवरी न होना	35,823
6	उत्पाद / उत्पाद एसेसरिज़ न होना	23,350
7	उत्पाद की डिलीवरी में देरी	21,913

8	नीति के अनुसार रिप्लेसमेंट उपलब्ध न कराना	10,222
9	खाता ब्लॉक/सेवा वर्जित	7,782
10	गलत वादे	7,726
11	अन्य	44,346

प्रकृति-वार: 2023

क्र. सं.	शिकायत की प्रकृति	प्राप्त हुई
1	सेवाओं में कमी	85,647
2	भुगतान की गई राशि रिफंड नहीं की गई	71,147
3	गलत उत्पाद की डिलीवरी	60,200
4	दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त उत्पाद की डिलीवरी	59,102
5	उत्पाद की डिलीवरी न होना	33,158
6	उत्पाद / उत्पाद एसेसरिज़ न होना	25,922
7	उत्पाद की डिलीवरी में देरी	25,304
8	नीति के अनुसार रिप्लेसमेंट उपलब्ध न कराना	12,210
9	गलत वादे	9,770
10	धोखाधड़ी का मामला-नकली/डुप्लिकेट/जाली उत्पाद बेचना	9,538
11	अन्य / क्षेत्रीय पूछताछ	54,135

प्रकृति-वार: 2024

क्र. सं.	शिकायत की प्रकृति	प्राप्त हुई
1	गलत उत्पाद की डिलीवरी	60,242
2	भुगतान की गई राशि रिफंड नहीं की गई	55,584
3	सेवाओं में कमी	62,527
4	नीति के अनुसार रिप्लेसमेंट या रिफंड उपलब्ध न कराना	33,428
5	दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त उत्पाद की डिलीवरी	58,181
6	उत्पाद की डिलीवरी न होना	47,525
7	उत्पाद की डिलीवरी में देरी	29,264
8	उत्पाद / उत्पाद एसेसरिज़ न होना	16,705
9	राशि डेबिट कर दी गई लेकिन लाभार्थी के खाते में जमा नहीं हुई	12,171
10	गलत वादे	5,890
11	अन्य / क्षेत्रीय पूछताछ	58,670

प्रकृति-वार: 2025

क्र. सं.	शिकायत की प्रकृति	प्राप्त हुई
1	उत्पाद की डिलीवरी न होना	79,818
2	गलत उत्पाद की डिलीवरी	75,426

3	नीति के अनुसार रिप्लेसमेंट या रिफंड उपलब्ध न कराना	61,056
4	दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त उत्पाद की डिलीवरी	60,969
5	भुगतान की गई राशि रिफंड नहीं की गई	53,364
6	उत्पाद की डिलीवरी में देरी	43,446
7	सेवाओं में कमी (उपभोक्ता सेवा से संबंधित समस्या)	37,864
8	उत्पाद / उत्पाद एसेसरिज़ न होना	19,815
9	नकली/डुप्लिकेट/जाली उत्पादों की बिक्री	15,762
10	उपभोक्ता की सहमति के बिना राशि काटी गई	12,614
11	अन्य / क्षेत्रीय पूछताछ	51,064

नोट - एनसीएच ने हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त सभी शिकायतों के समाधान के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। वर्ष 2021 से 2025 के दौरान इन सभी शिकायतों का निपटान कर दिया गया है।

अनुलग्नक -II

"क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा खराब उत्पाद" के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4041 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में उल्लिखित अनुलग्नक-II

पिछले पांच वर्षों के दौरान ई-कॉमर्स क्षेत्र में एनसीएच पर प्राप्त और निपटाई गई अधिकतम शिकायतों वाली शीर्ष दस कंपनियों का प्लेटफॉर्म-वार ब्यौरा।

वर्ष 2021 के दौरान ई-कॉमर्स क्षेत्र में एनसीएच पर जिन दस कंपनियों के ख़िलाफ़ सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गईं

क्र. सं.	कंपनी का नाम	प्राप्त हुई
1	फ़्लिपकार्ट	3,65,342
2	अमेज़न	1,24,776
3	मीशो	43,868
4	नेटमेड्स (जियोमार्ट)	40,832
5	मिंत्रा	39,368
6	स्विगी	18,526
7	ज़ोमैटो	12,282
8	मेकमाईट्रिप	10,792
9	ओला कैब्स	9,966
10	पेटीएम	8,123

वर्ष 2022 के दौरान ई-कॉमर्स क्षेत्र में एनसीएच पर जिन दस कंपनियों के ख़िलाफ़ सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गईं

क्र. सं.	कंपनी का नाम	प्राप्त हुई
1	फ़्लिपकार्ट	1,33,062
2	अमेज़न	43,012
3	नेटमेड्स	19,505
4	मीशो	17,180
5	मिंत्रा	10,309
6	स्विगी	5,244
7	ट्रैवोलुक	4,758
8	ज़ोमैटो	3,686
9	ओला कैब्स	3,565
10	मेकमाईट्रिप	3,493

वर्ष 2023 के दौरान ई-कॉमर्स क्षेत्र में एनसीएच पर जिन दस कंपनियों के ख़िलाफ़ सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गईं

क्र. सं.	कंपनी का नाम	प्राप्त हुई
1	फ़्लिपकार्ट	1,72,282
2	अमेज़न	53,334
3	मीशो	23,281
4	मिंत्रा	21,148
5	नेटमेड्स	20,157
6	स्विगी	10,426
7	ज़ोमैटो	6,260
8	ओला कैब्स	4,345
9	मेकमाईट्रिप	3,836
10	पेटीएम	3,612

वर्ष 2024 के दौरान ई-कॉमर्स क्षेत्र में एनसीएच पर जिन दस कंपनियों के ख़िलाफ़ सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गईं

क्र. सं.	कंपनी का नाम	प्राप्त हुई
1	फ़्लिपकार्ट	1,31,788
2	अमेज़न	78,517
3	मिंत्रा	24,450
4	मीशो	20,632
5	नेटमेड्स	17,440
6	ज़ोमैटो	5,328
7	स्विगी	3,632
8	टाटा 1एमजी	3,625
9	नापतोल	3,360
10	वीएलई बाज़ार	3,035

वर्ष 2025 के दौरान ई-कॉमर्स क्षेत्र में एनसीएच पर जिन दस कंपनियों के ख़िलाफ़ सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गईं

क्र. सं.	कंपनी का नाम	प्राप्त हुई
1	फ़्लिपकार्ट	1,33,566
2	अमेज़न	91,248
3	मीशो	29,284
4	मिंत्रा	25,384
5	नेटमेड्स	19,895
6	ज़ेप्टो	5,774
7	ब्लिंकइट (ग्रोफर्स)	5,102
8	नापतोल	4,079
9	वीएलई बाज़ार	3,907
10	नायका	3,405

नोट - एनसीएच ने हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त सभी शिकायतों के समाधान के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। वर्ष 2021 से 2025 के दौरान इन सभी शिकायतों का निपटान कर दिया गया है।

अनुलग्नक -III

"क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा खराब उत्पाद" के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4041 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में उल्लिखित अनुलग्नक-III

31 प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्मों ने स्वेच्छा से अपने स्व-घोषणा पत्र जमा किए हैं, जिसमें उन्होंने डार्क पैटर्न का निवारण और विनियमन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, 2023 के अनुपालन की पुष्टि की है।

क्र. सं.	**कंपनी का नाम**
1.	ज़ेप्टो मार्केटप्लेस प्राइवेट लिमिटेड (ज़ेप्टो)
2.	एक्सेलिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (फार्मईज़ी)
3.	पेज इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड (जॉकी)
4.	विलियम पेन प्राइवेट लिमिटेड
5.	क्लियरट्रिप प्राइवेट लिमिटेड
6.	मिंत्रा डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड
8.	ड्यूरोफ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	क्यूराडेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
10.	वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
11.	मेक माई ट्रिप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
12.	बिग बास्केट (इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड)
13.	जियो मार्ट (रिलायंस रिटेल लिमिटेड)
14.	टीरा ब्यूटी (रिलायंस रिटेल लिमिटेड)
15.	रिलायंस ज्वेल्स (रिलायंस रिटेल लिमिटेड)
16.	अजियो (रिलायंस रिटेल लिमिटेड)
17.	रिलायंस डिजिटल (रिलायंस रिटेल लिमिटेड)
18.	नेटमेड्स (रिलायंस रिटेल लिमिटेड)
19.	हैमलीज़ (रिलायंस रिटेल लिमिटेड)
20.	मिल्कबास्केट (रिलायंस रिटेल लिमिटेड)
21.	स्विगी लिमिटेड
22.	टाटा 1एमजी
23.	ज़ोमैटो (इटरनल लिमिटेड)
24.	ब्लिंकिट (ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड)
25.	इक्सिगो (ले ट्रैवेन्यूज़ टेक्नोलॉजी लिमिटेड)
26.	मीशो लिमिटेड
27.	लॉट्स होलसेल सॉल्यूशन
28.	शॉपक्लूज़ (क्लूज़ नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड)
29.	अमेज़न सेलर्स सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
30.	फियोरा हाइपरमार्केट प्राइवेट लिमिटेड
31.	लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड
